प्रकरण संख्या.58/2024
अनवान मनदीप सिह बनाम रघुवीर सिह

पत्रावली पेश हुई। वकील उभयपक्ष उपस्थित। अप्रार्थी संख्या 1 ने जवाब प्रार्थना पत्र पेश कर चक 16 एफटीपी प.न. 176/246 मु.न. 20 किला नं. 20 में इसी मुरब्बा के किला नं. 21 से पिचती हुई 0.0185है. भूमि रास्ते के बदले में देने का निवेदन किया। जो शामिल मिसल किया।

पत्रावली में प्रस्तुत दस्तावजों व तहसीलदार संगरिया के पत्रांक 1152 दिनांक 03.04.2025 द्वारा प्राप्त रिपोर्ट एवं प्रार्थी/अप्रार्थी द्वारा प्रस्तुत जवाब प्रार्थना पत्र का भली–भांति अवलोकन किये जाने पर प्रार्थी की चक 16 एफटीपी में दर्ज भूमि को कृषि कार्य के लिये आने जाने के लिये अप्रार्थी अपनी खातेदारी भूमि मे से रास्ते बदले भूमि देने पर रास्ता स्वीकृत करने हेतु अपनी सहमति प्रदान की गई है इसलिए राजस्थान का तकारी अधिनियम 1955 की धारा–251 (I) एवं राजस्थान का तकारी (सरकारी नियम–1955 के नियम–68 से 70 के अन्तर्गत नया रास्ता कांयम करने के संबंध में सहमति के आधार पर प्रार्थना पत्र स्वीकार किया उचित प्रतीत होता है।

अतः प्रार्थी का प्रार्थना पत्र स्वीकार किया जाकर चक 16 एफटीपी प.न. 175/246 मु.न. 21 किला नं. 25 के पूर्वी छोर की तरफ उत्तर से दक्षिण 0.0185 है. गै.मु. रास्ता (12 फिट चौड़ा व 165 फिट लम्बाई) में स्वीकृत किया जाता है रास्ते के बदले में प.न. 176/246 मु.न. 20 किला नं. 20 में इसी मुरब्बा के किला नं. 21 से पिचती हुई 0.0185 है. भूमि प्रार्थी की कम कर अप्रार्थी के नाम दर्ज की जावे। तहसीलदार राजस्व संगरिया को निर्देशित किया जाता है कि यदि राज्य हित प्रभावित नही हो तो उक्त आदेश का राजस्व रिकार्ड में अंकन किया जावें। तहसीलदार संगरिया कों पालनार्थ लिखा जावें। पत्रावली फैसला शुमार होकर दाखिल दफतर की जावें।

निर्णय आज दिनांक 02.01.2026 को मेरे द्वारा लिखाया जाकर सुने इजलास सुनाया गया।

(जय कौशिक)
उपखण्ड अधिकारी,
संगरिया